राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 5105/2021

मीतू अलग **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डिवीजन राजगढ, जिला अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.10.2021
आदेश की दिनांक : 18.05.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल. शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री विमल कुमार सारस्वत, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थिया को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिनांक 08.11.2009 को प्रदान की गयी थी, जिसमें यह शर्त थी कि अपीलार्थिया को नियुक्ति दिनांक से दो वर्ष की अवधि में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 13.05.2011 जारी किया गया था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1998 के अर्न्तगत उन सभी आश्रित विधवा महिलाओं पर लागू है, जो कि दिनांक 07.09.2009 से पूर्व एवं पश्चात नियुक्ति हुई/होगी, ऐसी सभी आश्रित विधवा महिलाए टंकण परीक्षा से मुक्त होगी। इसके पश्चात दिनांक 26.08.2020 को कनिष्ठ सहायकों की प्रोविजनल वरियता सूची जारी की गयी थी, जिसमें अपीलार्थिया का नाम क्रम संख्या 296 पर था एवं अपीलार्थिया को टंकण दक्षता उत्तीर्ण नहीं किया जाना अंकित बताया गया था। उनका आगे यह कथन है कि चयनित वर्ष 2018–19 में कनिष्ठ सहायकों को नियमित रूप से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी, जिसमें अपीलार्थिया को स्थान नहीं दिया गया, जबकि अपीलार्थिया से कनिष्ठ व्यक्ति सुरेश कुमार एवं लोकेश कुमार को पदोन्नति प्रदान की गयी। बाद में दिनांक 01.04.2020 की स्थिति के अनुसार कनिष्ठ सहायकों की प्रोविजनल वरियता सूची दिनांक 23.01.

2021 तैयार की गयी। इसमें टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने में अपीलार्थी को शिथिलता प्रदान की गयी। अपीलार्थिया के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थिया पूर्व में चयनित वर्ष 2018–19 में ही वरिष्ठ सहायक के पद पर शिथिलता प्राप्त करने की अधिकारी थी।

2. प्रत्यर्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को दिनांक 08.07.2009 को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। तत्कालीन नियमानुसार नियुक्ति पत्र में नियुक्ति दिनांक से दो वर्ष में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिये गये थे एवं वरिष्ठता सूची में भी टंकण परीक्षा पास नहीं होने के कारण इन्द्राज नहीं किया गया। इसके अनुसार ही कनिष्ठ सहायक की 01.04.2018 की स्थिति अनुसार प्रोविजनल वरिष्ठता सूची दिनांक 26.08.2020 को जारी की गई थी। जिसमें सात दिवस में आक्षेप मागे गये थें। दिनांक 10.09.2020 को अंतिम वरिष्ठता सूची जारी होने तक अपीलार्थी द्वारा आक्षेप प्रस्तुत नही किये जाने पर अंतिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई। अपीलार्थी का आक्षेप अंतिम वरिष्ठता सूची जारी होने के उपरांत दिनांक 15.01.2021 को प्राप्त होने के कारण कनिष्ठ सहायक की 01.04.2018 एवं 01.04.2019 की वरिष्ठता सूचियों में टंकण उत्तीर्ण का इन्द्राज नहीं किया जा सका। प्रस्तुत अपील में आक्षेप प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 23.03.2021 को जारी कनिष्ठ सहायक की 01.04.2020 की अंतिम वरिष्ठता सूची में रिलेक्शेशन अंकित कर दिया गया। जिसके फलस्वरूप श्रीमती मीतू अलग की वर्ष 2020–21 में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हुई है। अपील में पूर्व वर्षो की वरिष्ठता सूचियों में संशोधन उपरांत रिव्यू डीपीसी की सक्षम स्वीकृति उपरान्त इनकी पदोन्नति पर पुनः विचार किया जावेगा।

3. हमारे द्वारा दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया गया है। पूर्व में अपीलार्थिया को चयनित वर्ष 2018–19 की पदोन्नति के समय ही शिथिलता दी जानी चाहिए थी, जो बिना किसी कारण के नहीं दी गयी। अपीलार्थिया को बाद में शिथिलता प्रदान की गयी, जिसका कोई उचित कारण नहीं है। प्रत्यर्थीगण ने यह स्वीकार किया है कि अपीलार्थिया के सम्बन्ध में रिव्यू डीपीसी की सक्षम स्वीकृति उपरान्त पदोन्नति पर पुनः विचार किया जाए। प्रकरण के तथ्यों से स्पष्ट है कि कार्मिक विभाग और पूर्व में दिनांक 13.05.2011 को परिपत्र जारी कर अनुकम्पात्मक नियुक्ति पाने वाली विधवा महिलाओं को टंकण परीक्षा से मुक्त रखे जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसे में दिनांक 01.04.2018 को उपलब्ध रिक्ति के संबंध में कनिष्ठ सहायकों की प्रोविजनल वरियता सूची दिनांक 26.08.2020 तैयार किये जाने के समय ही अपीलार्थिया को शिथिलता दी जानी चाहिए थी, उस समय शिथिलता नहीं दी गयी जिस कारण से अपीलार्थिया को पदोन्नति प्रदान नहीं की गयी और अपीलार्थिया से

कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नति प्रदान की गयी। अपीलार्थिया को पदोन्नति के लिये गलत आधारों पर पदोन्नति समिति के समक्ष योग्य नहीं रखा गया, जबकि अपीलार्थिया दिनांक 01.04.2018 को उपलब्ध रिक्तियों के सम्बन्ध में पदोन्नति के लिये विचार किये जाने का अधिकार रखती थी।

4. अतः यह अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते है कि रिव्यू डीपीसी आयोजित कर अपीलार्थिया कों दिनांक 01.04.2018 को उपलब्ध रिक्तियों के सम्बन्ध में पदोन्नति हेतु विचार में रखे और योग्य पाये जाने पर अपीलार्थिया को समस्त पारिणामिक लाभ के साथ पदोन्नति प्रदान करें। उक्त कार्यवाही तीन माह में की जावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)